रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 31 जनवरी, 2005/11 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय, उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

हमीरपुर ..... जनवरी, 2005

संख्या पंच-हमीर/ (अंकेक्षण) 34/88.—यह कि ग्राम पंचायत जमली, विकास खण्ड बिझड़ी के अवधि 4/2002 से 31-3-2004 तक के लेखों का अंकेक्षण जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत अंकेक्षक श्री सुरेश कुमार द्वारा करने पर उसके द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण पत्र/विशेष रिपोर्ट एवं इस सम्बन्ध में पंचायत रिकार्ड की जांच करने से ज्ञात हुआ है कि प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी ने चैक संख्या 0180796, दिनांक 5-12-2002 द्वारा मु० 25000/- रुपये, दिनांक 7-12-2002 को पंचायत बैंक खाता संख्या 2010 कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक बिझड़ी से निम्नलिखित विकास/निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत के पारित प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक 5-12-2002 के तहत निकाले।

1.	निर्माण रास्ता घरयाणी	15000/- रुपये
2.	निर्माण रास्ता नौहाण	10000/- रुपये

3278-राजपत्र/2005-31-1-2005—1,422. (3645) मूल्य : एक रुपया।

परन्तु प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी ने न तो इस राशि को पंचायत सचिव को सौंप कर पंचायत रोकड़ में इन्द्राज करवाया और न ही जिन-2 कार्यों हेतु यह राशि निकाली थी उनकी अदायगी की । प्रधान ने उक्त मु0 25000/- रुपये को छुपा कर उक्त कार्यों में से एक विकास कार्य की अदायगी जो मस्ट्रोल सम्बन्धी मु0 6045/- रुपये (निर्माण रास्ता घरयाणी) है, दिनांक 31-3-2003 को रोकड़ लेखा में उपलब्ध गृह कर व अन्य राशियों से की । इसी तरह दिनांक 5-7-2003 को की गई अदायगी मु0 8445/- रुपये रोकड़ में उपलब्ध किराया दुकाने व राशि खाद्यान्न में से की गई है । दूसरे निर्माण कार्य, निर्माण रास्ता नौहान, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अदायगी मु0 5652/- रुपये व 3900/- रुपये जो 21-2-04 को की है वह पुनः बैंक खाता से मु0 20000/- रुपये निकाल कर की गई है । इस तरह यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि प्रधान की इस राशि मु0 25000/- रुपये अपहरित करने की मंशा थी । अंकेक्षण में इस बात का पता चलने के बाद ही श्रीमती सुमन कुमारी प्रधान ने पंचायत सहायक के द्वारा मु0 25000/- रुपये दिनांक 15-10-2004 को जमा बैंक करवाये है । इस तरह प्रधान श्रीमती सुमन कुमारी ने पंचायत धन राशि का दिनांक 7-12-2002 को अपहरण करके 15-10-2004 तक निजि प्रयोग में लाकर पंचायत को मिलने वाले ब्याज की क्षति पहुंचा कर अपने पद की हैसियत के विरुद्ध आचरण किया है । जिस कारण उसके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) के तहत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

अतः इससे पूर्व उक्त प्रधान के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाये मैं, देवेश कुमार (भा0प्र0से0), उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नोटिस जारी करके श्रीमती सुमन कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत जमली को यह आदेश देता हूं कि वह संलग्न आरोप सूची में दर्ज आरोप बारे अपना स्पष्टीकरण सात दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी विझड़ी के माध्यम से जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर को प्रस्तुत करें । निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उसे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उसके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

देवेश कुमार भा0प्र0से0,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

श्रीमती सुमन कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत जमली विकास खण्ड विझड़ी के विरुद्ध जारी आरोप सूची :

आरोप-1. ग्राम पंचायत जमली के अंकेक्षण पत्र अवधि 4/2002 से 3/2004 के पैरा संख्या-8(1) में दिये गये विवरण एवं इस बारे में ग्राम पंचायत जमली के रिकार्ड की जांच करने पर यह पाया गया है कि श्रीमती सुमन कुमारी प्रधान ने पंचायत के बैंक खाता से विकास कार्यों हेतु दिनांक 7-12-2002 को निकाली गई राशि मु0 25000/- रुपये का तत्काल पंचायत रोकड़ में इन्द्राज न करवाकर इसका अपहरण किया तथा दिनांक 7-12-2002 से दिनांक 15-10-04 तक यानि अंकेक्षण में इसकी पुष्टि होने पर इसको बैंक में जमा करवाने तक निजि प्रयोग में लाकर एवं पंचायत को मिलने वाले ब्याज की क्षति पहुंचाकर दुरुपयोग किया है । इस तरह उसने अपने पद की हैसियत के विरुद्ध कार्य किया है जिसके लिए वह दोषी है ।

देवेश कुमार, भा0प्र0से0,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 17 जनवरी, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002/18267-273. यह कि खण्ड विकास अधिकारी चौपाल से प्राप्त सूचना अनुसार श्रीमती बिरमा देवी, सदस्या, वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला ने अपनी चार जीवित सन्तान के होते हुए, दिनांक 9-3-2003 को पांचवीं सन्तान पैदा करके हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना की है । इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-12381-385, दिनांक 29-11-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

यह कि श्रीमती बिरमा देवी, सदस्या वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल ने इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि 15 दिनों की विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है । इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल की रिपोर्ट अनुसार उक्त श्रीमती बिरमा देवी, सदस्या, वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल की पांचवीं सन्तान उत्पन्न हुई है । जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुए 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात् 9-3-2003 को पांचवीं सन्तान पैदा करके वह उक्त पंचायत सदस्या वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ के सदस्य पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गई है ।

अतः मैं, एम0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्रीमती बिरमा देवी, सदस्या वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ को पंचायत सदस्य पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या-3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाउ के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उनके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत हलाउ को सौंप दें ।

शिमला, 17 जनवरी, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-18260-266.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल से प्राप्त सूचना अनुसार इन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला ने अपनी दो जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 19-6-2003 को तीसरी सन्तान पैदा करके हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) की उल्लंघना की है । इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या पी0 सी0 एच0-एम0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-12386-390, दिनांक 29-11-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

यह कि उक्त श्री इन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल ने इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि 15 दिनों की विहित अवधि भी समाप्त हो चुकी है । इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल की रिपोर्ट अनुसार उक्त इन्द्र सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ, विकास खण्ड चौपाल को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है । जिससे स्पष्ट होता

है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुये 8-6-2001 के पश्चात् अर्थात् 19-6-2003 को तीसरी सन्तान पैदा करके वह उक्त पंचायत सदस्य, वार्ड नं० 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ के सदस्य पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गया है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्री इन्द्र सिंह, सदस्य, वार्ड नं० 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ को पंचायत पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या-1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाउ के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उनके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत हलाउ को सौंप दें।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

नाहन, 18 जनवरी, 2005

संख्या एफ० डी० एम०-34/690/77-10-180-234.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ० डी० एम० 34/690/77-10-4176-4231 दिनांक 8-11-2004 को निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम० एल० शर्मा (भा० प्र० से०) जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दर्ज वस्तुओं के परचून/थोक भाव भाग में दो मास तक लागू रखने के आदेश देता हूं।

एम० एल० शर्मा,
(भा० प्र० से०),
जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर, स्थित नाहन, (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 19 जनवरी, 2005

क्रमांक पी० सी० एन०-एम०एम० आर० (5) 50/96-III-245-49.—यह कि सचिव ग्राम पंचायत बनेठी विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर द्वारा प्रस्ताव संख्या-5, दिनांक 8-1-2005 को प्रधान ग्राम पंचायत बनेठी का त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है जो कि उसके स्टेट बैंक आफ इंडिया में नौकरी लग जाने के कारण।

अतः मैं, एम० एम० नेगी जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 130 व पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वासुदेव सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बनेठी, जिला सिरमौर, विकास खण्ड नाहन का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं।

एम० एम० नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।